



मैनुअल - 15

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 1-अखबारों के द्वारा- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न योजनाओं/टेण्डर/नीलामी आदि की सूचना प्रकाशित करायी जाती है।
- 2-प्रदर्षनी- प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय/स्थानीय प्रदर्षनी में अपनी योजनाओं आदि के सम्बन्ध में स्टाल लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- 3-सूचना पटल- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सम्पत्तियों/भूखण्डों/भवन/अनाधिकृत वादों में नियत तिथि की सूची एवं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के टेण्डर/नीलामी आदि की सूचना प्रकाशित की जाती है।
- 4-अभिलेखों का निरीक्षण- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न अभिलेखों जैसे वाद पत्रावली का निरीक्षण/रिकार्ड आदि से सम्बन्धित जॉनकारियों कार्य के अनुरूप शुल्क लेकर किया जाता है।
- 5-दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था- प्राधिकरण द्वारा उक्त व्यवस्था निर्धारित शुल्क लेकर की जाती है।
- 6-उपलब्ध विभागीय मैनुअल- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण महायोजना 1985-2001 वर्तमान में लागू/ मसूरी देहरादून महायोजना प्रारूप 2005-2025 (प्रस्तावित)/ विकास प्राधिकरण भवन उपविधि 2001 यथा संशोधन 2003/ समय समय पर विभिन्न आवासीय योजना हेतु सम्पत्ति पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली सहित विवरण पुस्तिका/ ठेकेदार की पंजीकरण पुस्तिका/ स्वीकृत मानचित्र की प्रमाणित प्रति/ नई नजूल नीति षासनादेश दिनांक 4.8.2005 उत्तरांचल षासन द्वारा जारी की गयी है/ किसी भी अभिलेख की प्रमाणित प्रति।
- 7-प्राधिकरण की वेबसाइट- उककंवदसपदमण्पद
- 8-ई-मेल पता - पदवि/उककंवदसपदमण्पद
- 9-अन्य प्रचार प्रसार के साधन- प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट के माध्यम से भवन मानचित्र/विभिन्न योजनाओं की जानकारी/अनाधिकृत वादों आदि का विवरण।